UPMZ010079262026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3354 सन 2026

तनवीर पुत्र हाशिम

निवासी ग्राम बिटावदा थाना बुढाना
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य —अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या—231 सन 2026
धारा —87 बीएनएस
थाना—बुढाना
जनपद— मुजफ्फरनगर

24.07.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना बुढाना के अपराध संख्या—231 सन 2026 धारा—87 बीएनएस के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में गांव की पार्टीबाजी के कारण झूठा फँसाया गया है। यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी एक दिन विलंब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त व वादी मुकदमा अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। आवेदक/अभियुक्त पर मात्र दबाव बनाने के लिये और धन एंठने के लिये यह मुकदमा झूठा लिखाया गया है। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज में कोई विडियो वादी की पुत्री को ले जाने की नहीं है और न ही वादी की पुत्री अनु आवेदक/अभियुक्त से बरामद हुई है।

अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफता नहीं है तथा वह दिनांक 28.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। इस प्रकार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, मजिस्ट्रेट न्यायालय का खारजा आदेश दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक एवं वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान प्राईवेट अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। अतः जमानत निरस्त करने की मांग की गयी। वादी मुकदमा की ओर से काउन्टर शपथ पत्र दाखिल करते हुए कथन

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.25 16:36:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी मे नामित है तथा उसने मानसिक रूप से बीमार व लाचार व सोचने समझने की अक्षमता वाली पीडिता को बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। जिसकी असमर्थता व मानसिक अपंगता का लाभ उठाकर अभियुक्त से वह गर्भवती भी है। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का एक अन्य मामले का आपराधिक इतिहास है। अतः उक्त आधारों पर जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबिदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। वादिया मुकदमा को भी व्यक्तिगत तौर पर सुना गया।

4. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा जितेन्द्र द्वारा घटना दिनांकित 27.05.2026 समय 12.00 बजे ग्राम इटावा गेट मेरठ करनाल हाईवे कट गांव इटावा थानांतर्गत बुढाना के संबंध में दिनांक 28. 05.2026 को समय 00.46 बजे थाना बुढाना पर इस आशय की दर्ज करायी गयी कि उसकी पुत्री अनु राठी का विवाह मनदीप के साथ हुआ था जो उसकी पत्नी प्रवेश के ऑप्रेशन होने के कारण उसके घर पर ग्राम इटावा मे रह रही थी। दिनांक 27.05.2026 को समय लगभग 12 बजे दोपहर अपने निजि कार्य से बुढाना कस्बा जा रही थी कि उसी समय उसके पडौस के गांव बिटावदा का तनवीर उसकी बेटी को जबरदस्ती शादी के इरादे से अपनी मोटर साईकिल संख्या यूपी–12–एई–2897 से अपहरण कर ले गया। यह घ टना नरेन्द्र पुत्र रामचन्द्र एवं प्रमोद पुत्र चरण सिंह ने देखी तथा उसे बतायी कि तनवीर उसकी लडकी का अपहरण करके ले गया है। घटना इटावा गेट मेरठ करनाल हाईवे कट गांव इटावा के पास की है।

5. इस प्रकार अभियोजन कथानक अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व शादी करने के आशय से पीडिता का अपहरण कर ले जाने का आरोप बताया गया है।

पूर्व आदेश दिनांकित 10.07.2026 के अनुसार तलबशुदा पत्रावली अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्ेट, न्यायालय संख्या 1, मुजफफरनगर के अवलोकन से जाहिर होता है कि पीडिता दिनांक 28.05.2026 को बायवाला चौकी से आगे शामली की तरफ चौधरी होटल के पास से बरामद की गयी है। जिस पर विवेचक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्ेट, न्यायालय संख्या 1, मुजफफरनगर द्वारा आदेश दिनांकित 02.06.2026 पारित किया गया है कि पीडिता अन्नु को सुरक्षा के दृष्टिगत राजकीय महिला शरणालय मेरठ भेजा जाये। इसके उपरांत संबंधित न्यायालय द्वारा राजकीय महिला शरणालय मेरठ से आख्या मंगायी गयी। उक्त आख्या दिनांकित 14.07.2026 पत्रावली में शामिल है, जिसमें कहा गया है कि संवासिनी अनु का प्रवेश के समय परीक्षण कराया गया जिसमे संवासिनी अनु गर्भवती पायी गयी। संस्था में संवासिनी का व्यवहार सामान्य है और वह स्वयं संस्था से स्वतंत्र मुक्त होना चाहती है।

इसके उपरांत दिनांक 15.07.2026 को एक आख्या विवेचक द्वारा इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि पीडिता राजकीय महिला शरणालय में रहने की इच्छुक नहीं है बल्कि उसने इच्छा जताई है कि वह अपनी छोटी बहन

आकांशा पत्नी दीपक के साथ रहना चाहती है जिस पर दिनांक 16.07.2026 को आदेश पारित करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1, मुजफफरनगर द्वारा विवेचक को आदेशित किया गया है कि वह उसकी सुरक्षा में पीडिता अनु राठी को उसकी बहन श्रीमती आकांशा के साथ जहां वह चाहे वहां निवासित किया जाना सुनिश्चित करे।

दौरान विवेचना पीडिता का धारा 180 बीएनएसएस का बयान अंकित किया गया है जिसमें उसने आवेदक/अभियुक्त द्वारा जबरन शादी करने के इरादे से उसका अपहरण करके ले जाने का कथन किया है।

पीडिता ने अपने धारा 183 बीएनएसएस के बयान में अपनी उम्र 26 वर्ष बतायी है तथा कथन किया है कि उसकी शादी दिनांक 15.12.2017 को मन्दीप से हई थी। वह शादी के बिल्कुल तैयार नहीं थी। उस समय आठवीं कक्षा में थी। वह शादी नहीं करना चाहती थी बल्कि आगे पढ़ना चाहती थी। शादी के बाद वाली रात को उसके पति ने उसके साथ मारपीट व अप्राकृतिक रूप से जबरदस्ती संबंध भी बनाये। उसने घर आकर अपनी मम्मी को सब बात बतायी परंतु मम्मी ने उसे समझा कर ससुराल भेज दिया। वह वर्ष 2018 में गर्भवती हो गयी थी परंतु उसके पति का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं था। जब वह सात माह की गर्भवती थी उसके पति रात को फोन पर बात करने के लिए बाहर चले गये। जिस दिन उसकी डिलीवरी होने वाली थी वो उस रात आये व जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। उसने बेटे को जन्म दिया व उसका पति उसके साथ अजनबी की तरह रहने लगे। वह उससे कभीकभार बात करते हैं। उसके बाद वह वर्ष 2020 में पुनः गर्भवती हो गयी। उसने बेटी को जन्म दिया, बेटी होने से उसके पति नाराज रहते थे। वह परेशान होकर जब बेटी सात माह की थी अपनी मायके चली गयी थी। बाद में वह ससुराल चली गयी। वहां रहने के बाद उसके पति उसके साथ दौबारा बातचीत करने लगे।

यह भी कहा गया है कि वर्ष 2022 के अंत में उसके पति की रिश्तेदारी के सोनू व उसकी पत्नी उसके घर रहने के लिए आये थे क्यों कि उनका कोर्ट मुकदमा चल रहा था। सोनू भी उसके साथ हुये अत्याचार को देखता था, उसने मुझसे कहा कि तुम ये सब क्यों सहन कर रही हो। सोनू मुझसे फिर फोन पर वात करने लगे व मुझे अपशब्द कहने लगा। सोनू ने उनकी सब बात की रिकार्डिंग बनाकर उसके पति को दे दी जिस पर उसके पति ने मेरे साथ खूब मारपीट की। उसके पति ने अगले दिन उसे व उसकी बहन पायल (देवरानी) व देवर मोहित के साथ मायके भेज दिया। उसके पति ने सहारनपुर कस्बा नकुड में उनके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा दिया कि वे दोनो बहने ससुराल में मारपीट गहने चुराकर लाई है उसके बाद उनके बीच एक दो मुकदमे चलते रहे। इसी बीच उसने बुढाना में एक डाक्टर के पास नौकरी करना शुरु कर दिया। उसके बाद मै दिल्ली चल गई और वहा जाकर उसने RR Hospital- धौलाकुआं में नौकरी करना शुरु कर दिया। कुछ दिन बात उसके पति ने उसके साथ बातचीत शुरु कर दी तथा बच्चो के खर्च के लिए उससे रुपये ले जाता था।

पीडिता ने अपने बयान में यह भी कहा है कि दिनाक 31.03.2025 को तनवीर से मिली उसने उसे जिन्दा रहने का कारण दिया व एक दूसरे को

पसंद करने लगे दिनांक 07.04.2025 को हमने मंदिर मे जाकर शादी की। वे दोनो गाजियाबाद मे रहने लगे। एक माह बाद में गर्भवती हो गई दिनांक 24.10.2025 को उसके मायके वालो ने उसे बुलाया व सब ने उसे समझाकर उसके पहले पति मन्दीप के साथ मुझे ससुराल भेज दिया व एक सप्ताह के बाद ही ही मन्दीप ने उसका गर्भपात करा दिया। दिनांक 25.02.2026 की रात को मन्दीप ने उसके साथ मारपीट की व उसने अपनी मम्मी को फोन किया व अगले दिन मम्मी पापा उसे लेने आ गये। वह उनके साथ मायके आ गई। दिनाक 07.05.2026 को उसने लिविग सर्टिफिकेट तनवीर के साथ रहने के लिए बनवाया जिसमे दीपक शर्मा व छोटी गवाह थे। दिनांक 27.05.2026 को प्रा०पत्र दिया था जिसके लिए उसे बुढाना थाना भेज दिया। अब वह तनवीर के साथ रहना चाहती है। उसके घरवालो व पति से उसका कोई संबंध नहीं है व बच्चे भी मनदीप के साथ ही रहते है।

इस प्रकार पीडिता के धारा 183 बीएनएसएस के बयान से जाहिर होता है कि उसके द्वारा अपनी आयु 26 वर्ष बतायी गयी है तथा उसके द्वारा अपने पति के संबंध में कथन किये गये हैं। पीडिता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसने बुढाना में एक डाक्टर के पास नौकरी करना शुरु कर दिया था। उसके बाद वह दिल्ली चली गई और वहा जाकर उसने RR Hospital धौलाकुआं में नौकरी करना शुरु कर दिया। कुछ दिन बात उसके पति ने उसके साथ बातचीत शुरु कर दी तथा बच्चो के खर्च के लिए उससे रुपये ले जाता था। इसी प्रकार पीडिता ने अपने धारा 183 बीएनएसएस के बयान में अपने पति से कोई संबंध न होना और आवेदक/अभियुक्त के साथ रहने की इच्छा जतायी गयी है।

संबंधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व एक अन्य मामला अपराध संख्या 230 सन 2026 धारा 306, 317 (2) भारतीय न्याय संहिता का पंजीकृत होना कहा गया है जिसके संबंध में आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि उक्त मुकदमा इस मामले से ठीक पहले आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व दर्ज किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **तनवीर पुत्र हाशिम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अंकन 50,000/–50,000/– पचास पचास हजार रूपये की दो जमानते तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के तहत जमानत पर रिहा किया जाये :–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयोग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि

उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।

4. यह कि आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करेगा–''अभियुक्त विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।''

6. आवेदक/अभियुक्त विवेचना की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

7. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 24.07.2026

sv